न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/309

1. कजोडमल पुत्र नानछा उर्फ नानछीराम
2. मांगीलाल पुत्र नानछा उर्फ नानछीराम
   समस्त 1 लगायत 2 जाति बागडा ब्राहमण, हरदत्तपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
3. महेन्द्र कुमार धानका पुत्र श्री नृसिंह, जाति धानका, निवासी– 07, हसनपुरा ए धानका बस्ती के पास खातीपुरा जयपुर ।
4. मोहन लाल धानका पुत्र लालाराम
5. श्रवण लाल पुत्र लालाराम
6. सोहन पुत्र लालाराम समस्त 04 लगायत 06 जाति धानका, निवासी– हरदत्तपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 29.05.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस.) प्रार्थना पत्र संख्या 35/2024 उनवानी प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी बनाम कजोडमल जिसके द्वारा खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना विधिक प्रावधानो के विपरीत निर्णय पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री प्रभूसिंह राजावत वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक– 02.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुरके अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ग्रामीण स्थित आराजी खसरा नंबर 52 रकबा 0.98 है0 में से 0.0410 है0 व खसरा नं. 54 रकबा 0.44 है0 में से 0.0406 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा रास्ते संबंधी प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर द्वारा उक्त भूमि की किस्म राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 29.05.2024 को दिये गये ।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर निर्णय दिनांक 29.05.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस/लिखित बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअपीलांटस् की खातेदारी भूमि ग्राम हरदत्तपुरा स्थित खसरा संख्या 52 व 54 है। जिसके बाबत् तहसीलदार महोदय रामपुरा डाबडी के द्वारा को सुयोग्य विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कायम करने हेतु प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रावधानो के विपरीत एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2024 पारित कर दिया। पटवारी हल्का ने दिनांक 17.05.2024 को फर्द मौका बनाना अंकित किया है। जबकि अपीलांटस् खसरा संख्या 52 व 54 के अभिलिखित खातेदार/काबिज काश्तकार है। जिन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये या मौका निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित रहने हेतु सूचना या नोटिस नही दिया ना ही फर्द मौका, मौके पर बनाया गया। यदि हल्का पटवारी महोदय मौके पर आते तो वहाँ अपीलांटस् काबिज काश्त है। जिन्हे जानकारी हो पाती लेकिन हल्का पटवारी ने अपने कार्यालय में ही मौका रिपोर्ट बना ली, फर्द मौका में खातेदारान की सूचना व आपत्ति तथा उपस्थिति के बारे में कोई सूचना अंकित नही है। जिससे फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 विधिक प्रावधानो के विपरीत है जो इस तथ्य से स्पष्ट है की हल्का पटवारी महोदय ने फर्द मौका दिनांक 17.05.2024 को बनाने का अंकन किया है जबकि फर्द मौका रिपोर्ट पर पटवारी हल्का खोराबीसल के हस्ताक्षर दिनांक 20.05.2024 को किये गये है। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल के हस्ताक्षर भी दिनांक 20. 05.2024 को किये जाने का अंकन है। जिससे यह स्पष्ट है कि फर्द मौका दिनांक 17.05.2024 को मौके पर नही बनाया गया । उक्त विधिक प्रावधानो के विपरीत तैयार किये गये फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के आधार पर तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने न्यायालय में रास्ता दर्ज करने हेतु प्रकरण प्रस्तावित कर भिजवा दिया उक्त रिपोर्ट में अंकित खसरा संख्या 52 व 54 स्थित ग्राम हरदत्तपुरा के खातेदारान के बारे में या प्रभावित पक्षकारान के बारे में कोई अंकन पटवारी रिपोर्ट, फर्द मौका रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट आदि में नही किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.05.2024 को दर्ज कर खातेदारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकपक्षीय रूप से विधिक प्रावधानो के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जिसके विस्तृत निर्णय में उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामपुरा डाबडी बनाम कजोडमल व मुकेश खन्ना व अन्य अंकित किया गया है। जबकि कजोडमल व मुकेश खन्ना व अन्य किसी के नाम से कोई नोटिस सुयोग्य विचारण न्यायालय द्वारा जारी नही किया गया। खसरा संख्या 52 व 54 स्थित ग्राम

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

हरदत्तपुरा में कोई रास्ता मौके पर चालू नही है, ना ही पूर्व में कभी चालू था । जिससे मौका निरीक्षण किये बिना ही एकपक्षीय रूप से अन्य पडौसी खातेदारो को नाजायज लाभ पहुँचाने की गरज से अवैद्य रूप से तैयार की गई रिपोर्ट का सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवलोकन नही किया । फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 में प्रचलित रास्ता 30–40 वर्ष पुराना अंकित किया है। जबकि मौके पर कोई रास्ता नही है, ना ही पूर्व में कभी था। यदि पूर्व में कभी रास्ता होता तो सन् 1998 में जारी भू–प्रबन्ध के नये रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज होता जो नही होकर बारानी द्वितीय अंकित है। जिससे प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी में कोई रास्ता ना था ना वर्तमान में है ना ही इस बाबत् तहसीलदार ने किसी ग्रामवासी के बयान ही दर्ज किये जिससे अविधिक व झूठी मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानो व प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तो के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 52 व 54 स्थित ग्राम हरदत्तपुरा की किस्म बारानी द्वितीय है। जिस में से कोई रास्ता मौके पर नही है। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के आदेश दिनांक 29.05.2024 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प3 (2) राज./6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने–जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तो का अंकन राजस्व अभिलेख में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अुनसार किया जावेगा ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रभावित पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है किग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 52 रकबा 0.98 है0 में से 0.0410 है0 व खसरा नं. 54 रकबा 0.44 है0 में से 0.0406 है0के संबंध में तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा रास्ते प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खसरा नम्बर 52, 54 के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है इनको अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध है जिससे यह साबित हो सके की रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गुगल मैपके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि खसरा नं. 52 व 54 में कोई रास्ता संचालित नहीं है ना ही कोई आम रास्ता है जो कि ग्राम पंचायत हरदत्तपुरा की रिपोर्ट दिनांक 20.07.2024 से भी स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.05.2024 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर